# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0- 2079**
**दिनांक- 15.11.2026**

**जोन-पश्चिमी / थाना-तालकटोरा**

- **थाना तालकटोरा पुलिस टीम द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी के पीली एवं सफेद धातु के आभूषण बरामद।**

**01- संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक-14.11.2026 को थाना तालकटोरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 211/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस से संबंधित माल-मुल्जिमान की तलाश एवं पतारसी-सुरागरसी के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास वाहन पार्किंग रोड से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में एक व्यक्ति ने अपना नाम अवनीश तिवारी उर्फ नमन तिवारी पुत्र उमेश तिवारी, निवासी 384/26ख पुराना चबूतरा, थाना सआदतगंज, लखनऊ, हाल पता निकट राजगार्डेन, मोतीझील, थाना बाजारखाला, लखनऊ, उम्र करीब 26 वर्ष बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पुष्कर रस्तोगी पुत्र दीपक रस्तोगी, निवासी 319/11 चौक, चूड़ी वाली गली, थाना चौक, लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष बताया।

पूछताछ एवं बरामदगी के दौरान दिनांक 26/27.09.2026 की रात्रि में सी-ब्लॉक, सेक्टर-13, राजाजीपुरम स्थित एक मकान में घुसकर अलमारी में रखे आभूषण एवं नकदी चोरी करने की घटना का अनावरण हुआ। अभियुक्त अवनीश तिवारी उर्फ नमन तिवारी के कब्जे से पीली धातु के 02 अदद मंगलसूत्र के लॉकेट, 01 जोड़ी कान के झाले तथा अभियुक्त पुष्कर रस्तोगी के कब्जे से पीली धातु का 01 अदद मांग टीका, सफेद धातु की 01 जोड़ी पायल एवं 01 जोड़ी बच्चों के कंगन बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**02- पूछताछ विवरण एवं मॉडस ऑपरेंडी-**

पूछताछ में अभियुक्त अवनीश तिवारी उर्फ नमन तिवारी द्वारा बताया गया कि वह नशे का आदी है तथा अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए दिनांक 26/27.09.2026 की रात्रि में सी-ब्लॉक, सेक्टर-13, राजाजीपुरम में घूमते समय एक मकान की ऊपर से लगी कुंडी खोलकर अंदर घुस गया तथा कमरे में रखी अलमारी से आभूषण एवं नकदी से भरा बैग चोरी कर लिया था। चोरी किए गए नकदी के रुपये उसने नशे की लत पूरी करने में खर्च कर दिए तथा कुछ आभूषण अपने पास रखकर शेष आभूषण अपने साथी पुष्कर रस्तोगी को रखने के लिए दे दिए थे।

अभियुक्त पुष्कर रस्तोगी द्वारा बताया गया कि अवनीश तिवारी ने उसे चोरी के आभूषण अपने पास रखने तथा चौक स्थित सुनार की दुकान पर चेक कराने एवं बिकवाने के लिए दिए थे। दोनों अभियुक्तों द्वारा उक्त आभूषण बेचकर रुपये आपस में बांटने की योजना बनाई गई थी।

घटना के संबंध में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज का मिलान अभियुक्त अवनीश तिवारी के हुलिए से किया गया, जो मेल खाता पाया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद आभूषण संबंधित मुकदमे का माल-मसरूका पाए गए।

**03- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. अवनीश तिवारी उर्फ नमन तिवारी पुत्र उमेश तिवारी, निवासी 384/26ख पुराना चबूतरा, थाना सआदतगंज, लखनऊ, हाल पता निकट राजगार्डेन, मोतीझील, थाना बाजारखाला, लखनऊ, उम्र करीब 26 वर्ष।
2. पुष्कर रस्तोगी पुत्र दीपक रस्तोगी, निवासी 319/11 चौक, चूड़ी वाली गली, थाना चौक, लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष।

**04- आपराधिक इतिहास अवनीश तिवारी उर्फ नमन-**

1. मु0अ0सं0-123/2019 धारा 366 भादवि थाना तालकटोरा लखनऊ
2. मु0अ0सं0-152/2019 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना अमीनाबाद लखनऊ
3. मु0अ0सं0-49/2022 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सआदतगंज लखनऊ
4. मु0अ0सं0-266/2022 धारा 392/411 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
5. मु0अ0सं0-268/2022 धारा 498ए/323/504/506 भादवि थाना तालकटोरा लखनऊ
6. मु0अ0सं0-183/2025 धारा 305(ए)/331(4)317(2) बीएनएस थाना बाजारखाला लखनऊ
7. मु0अ0सं0-268/2022 धारा 41 सीआरपीसी व 411 भादंवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ

**05- अनावरित अभियोग का विवरण-**

1.मु0अ0सं0 211/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस एवं बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ।

**06- बरामदगी विवरण-**

- पीली धातु के 02 अदद मंगलसूत्र के लॉकेट।
- पीली धातु की 01 जोड़ी कान के झाले।
- पीली धातु का 01 अदद मांग टीका।
- सफेद धातु की 01 जोड़ी पायल।
- बच्चों के 01 जोड़ी कंगन।
- अभियुक्तगण की जामा तलाशी से कुल ₹900/- नगद।
- 01 अदद ओप्पो कम्पनी का मोबाइल फोन।

**07- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 प्रवीन कुमार, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 संदीप जायसवाल, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. हे0का0 आनन्द मणि सिंह, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. का0 नवीन प्रताप सिंह, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. का0 बलवन्त कुमार, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0- 2080**
**दिनांक-15.11.2026**

## *जोन- दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज*

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा 04 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

**01-कार्यवाही विवरण:-**

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्दशन, अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज श्री इन्द्रजीत सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 04 नफर वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

**02-संक्षिप्त विवरण:-**

आज दिनांक 15.11.2026 को थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत गैर-जमानतीय वारंट के अनुपालन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही एवं तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मे मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा जारी NBW/वारण्टी 1. शिवकुमार पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम उदवतखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष 2. कमल किशोर उर्फ नन्हकू पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम उदवतखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष 3. प्रमोद पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम उदवतखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष 4. पवन पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम उदवतखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

1. शिवकुमार पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम उदवतखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष
2. कमल किशोर उर्फ नन्हकू पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम उदवतखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष
3. प्रमोद पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम उदवतखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष
4. पवन पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम उदवतखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

**04-आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 178/25 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 बनाम शिवकुमार, कमल किशोर, प्रमोद, पवन उपरोक्त थाना मोहनलालगंज, लखनऊ
2. मु0अ0सं0 372/18 धारा 147/323/427/506 भादवि बनाम शिवकुमार उपरोक्त थाना मोहनलालगंज, लखनऊ
3. मु0अ0सं0 210/19 धारा 60 आबकारी अधि0 बनाम कमल किशोर उपरोक्त थाना मोहनलालगंज, लखनऊ
4. मु0अ0सं0 556/21 धारा 323/325/504/506 भादवि बनाम प्रमोद उपरोक्त थाना मोहनलालगंज, लखनऊ
5. मु0अ0सं0 556/21 धारा 323/325/504/506 भादवि बनाम पवन उपरोक्त थाना मोहनलालगंज, लखनऊ

**05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं.- 2082**
**दिनांक-15.11.2026**

## जोन- पूर्वी/ थाना-इन्दिरानगर

- **महिला को बंधक बनाकर मारपीट करने के वायरल वीडियो के संबंध में पंजीकृत अभियोग से में महिला के साथ मारपीट करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

**01-संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 10.11.2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा एक महिला को बांधकर उसके साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया। उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना इंदिरानगर पुलिस द्वारा जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि महिला मूल रूप से जनपद बाराबंकी की निवासी है उक्त प्रकरण के संदर्भ में सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर थाना इंदिरानगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा प्रकरण की जानकारी की गई। महिला के पति द्वारा बताया गया कि उक्त महिला उसकी पत्नी है, तथा किसी बच्चे की चोरी करने का प्रयास नहीं कर रही थी। दिनांक 10.11.2026 को पीड़िता के पति द्वारा थाना इंदिरानगर पर लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर मु0अ0सं0- 0301/2026 धारा- 191(2)/191(3)/126(2)/115(2)/352/351(2)/109 बीएनएस बनाम सनीउदल, सरीफुल, जमालुद्दीन व 5-6 अन्य अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुई जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त महोदय पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ, अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी, सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर, के द्वारा घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण किया गया तथा उक्त अभियोग के सफल अनावरण हेतु आदेश निर्देश दिये गये जिनके क्रम में **दिनांक 10.11.2026 को अभियुक्तगण 1. मो0 आयनुद्दीन 2. जमालूद्दीन 3. सरीफुल इस्लाम 4. सनीदुल व दिनांक 12.11.26 को अभियुक्तगण 1.इमरान हुसैन 2.रजीबुल एवं दिनांक 14.11.2026 को अभियुक्त कमालुद्दीन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा जा चुका है।**

**आज दिनांक 15.11.2026** को मुखबिर खास की सूचना पर उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह मय टीम के द्वारा अभियुक्त नदीम पुत्र वसीम सिद्दीकी निवासी- चांदन खुर्रमनगर थाना इंदिरानगर लखनऊ उम्र 35 वर्ष को खुर्रमनगर की झुग्गी झोपड़ी के नजदीक थाना इन्दिरानगर लखनऊ से गिरफ्तार कर थाना हाजा लाकर दाखिल किया गया तथा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. नदीम पुत्र वसीम सिद्दीकी निवासी- चांदन खुर्रमनगर थाना इंदिरानगर लखनऊ उम्र 35 वर्ष

**03-आपराधिक इतिहास –**

| क्र0 स0 | मु0अ0स0 | धारा | थाना |
|---|---|---|---|
| 1 | 375/2008 | 379/411 भादवि | गाजीपुर |
| 2 | 384/2008 | 41/411/414 भादवि | गाजीपुर |
| 3 | 470/2008 | 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट | गाजीपुर |
| 4 | 448/2010 | 504/506 भादवि | अलीगंज |
| 5 | 558/2017 | 323/354 भादवि व 3(1)(11) एससी/एसटी एक्ट | इन्दिरानगर |
| 6 | 020/2019 | 323/504/506 भादवि | इन्दिरानगर |
| 7 | 341/2024 | 191(2)/191(3)/121(1)/132/115(2)/324(4)/351(2)/131/74 बीएनएस व 7CLA Act | इन्दिरानगर |
| 8 | 301/2026 | 191(2)/ 191(3)/ 126(2)/ 115(2)/ 352/351(2)/109 बीएनएस | इन्दिरानगर |

**04-गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-**

1. नि0 श्री अजय नारायण सिंह थाना इन्दिरानगर लखनऊ
2. उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह, थाना इन्दिरानगर लखनऊ
3. उ0नि0 श्री सर्वेश मौर्या, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
4. का0 राजन सिंह, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2083
दिनांक-15.11.2026

## जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर विस्तार

- **थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर चोर / अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये पीली व सफेद धातु के जेवरात, कैमरा व कलाई घड़ी बरामद।**

### 01-संक्षिप्त विवरण –

वादिनी मुकदमा के द्वारा पुलिस को तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 23.10.2026 को अपना इलाज कराने हरिद्वार पतंजली, उत्तराखण्ड गयी थी कि दिनांक 04.11.2026 के आस पास उनके घर नियर कामाख्या मन्दिर सरस्वती पुरम गोमती नगर विस्तार लखनऊ का लॉक तोड़कर ज्वैलरी, कैमरा, घड़ी तथा नगद रूपये अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 208/2026 धारा 305(a)/331(1) बीएनएस** बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं घटनास्थल के आसपास लगे **सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगालकर** व सुरागरसी-पतारसी के जरिये मुकदमें में प्रकाश में आये अभियुक्तगण –1. ओम प्रकाश यादव पुत्र बृजेश यादव उम्र करीब 21 वर्ष, 2. नरसिंह गौतम पुत्र गयाप्रसाद गौतम उम्र करीब 24 वर्ष व 3. आनन्द पुत्र दिनेश चन्द्र उम्र करीब 22 वर्ष को दिनांक 14.11.2026 को विद्वानखण्ड रेलवे लाइन के किनारे, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ से ज्वैलरी, कैमरा व घड़ी बरामद करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

बाद विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण ओम प्रकाश यादव, नरसिंह गौतम व आनन्द उपरोक्त को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### 02-अनावरित अभियोग –

1. मु.अ.सं. 208/2026 धारा 305(a)/331(1)/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ

### 03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. ओम प्रकाश यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी ग्राम जमुनहा थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच हालपता- छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष,
2. नरसिंह गौतम पुत्र गयाप्रसाद गौतम निवासी ग्राम रामनगर तेदवारी थाना रामनगर जनपद बाराबंकी हालपता- 2/356 विराज खण्ड 02 थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष
3. आनन्द पुत्र दिनेश चन्द्र निवासी ग्राम खन्तारी थाना महिगवां जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष

### 04-बरामदगी का विवरण-

- 01 जोडी झाला पीली धातु
- 01 पीस रानी हार पीली धातु सफेद मोती लगा हुआ

- 01 पीस बाजूबंद पीली धातु
- 01 चूड़ी पीली धातु
- 06 जोड़ी पायल सफेद धातु की वजन 186 ग्राम
- 04 अदद सफेद धातु की बिछिया वजन 10 ग्राम
- 02 अदद सफेद धातु की लाकेट करौली सरकार
- 04 अदद रिंग सफेद धातु वजन 07 ग्राम
- 01 अदद अंगूठी लेडीज पीली धातु वजन 01 ग्राम
- 01 जोडी लेडीज कान के टॉपस वजन 1 ग्राम 60 मि. ग्राम
- 07 अदद चांदी के सिक्के वजन 80 ग्राम
- 08 अदद सिक्के सफेद धातु के वजन 90 ग्राम
- 02 अदद हाथ घड़ी लेडीज टाइटन ब्लैक डायल गोल्डेन व ब्लैक चेन का
- 01 अदद NIKON का DSLR कैमरा ब्लैक कलर जिसका माडल नं0 D 3200

**05-आपराधिक इतिहास** – **ओम प्रकाश यादव उपरोक्त**

1. मु0अ0सं0 021/2023 धारा 380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 076/2023 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना बीबीडी जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 123/2023 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना बीबीडी जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 271/2023 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 115/2023 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ।
6. मु0अ0सं0 134/2023 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ।

**06-आपराधिक इतिहास-** **नरसिंह गौतम उपरोक्त**

1. मु0अ0सं0 414/2025 धारा 305(a)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 471/2025 धारा 305(a)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 0102/2026 धारा 3(5)/303(2)/317(2) बीएनएस थाना महानगर जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0141/2026 धारा 305(a)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना बिजनौर जनपद लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 144/2026 धारा 305(a)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना बिजनौर जनपद लखनऊ।
6. मु0अ0सं0 593/2026 धारा 305(a)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।

**07-आपराधिक इतिहास-** **आनन्द उपरोक्त**

1. मु0अ0सं0 129/2025 धारा 105/115(2)/191(2)/351(3)/352 बीएनएस व 3(1)द/3(1)ध/3(2)(v) Sc/St Act थाना महिगंवा जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 217/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।

**08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री बृजेश त्रिपाठी थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ(विवेचक)
2. उ0नि0 श्री अजय शुक्ला थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री लवलेश कुमार थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
4. हे0का0 रामू यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
5. कां0 रवीन्द्र कुमार थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0- 2081**
**दिनांक- 15.11.2026**

***जोन- दक्षिणी/ थाना- बिजनौर***

- **थाना बिजनौर पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर गलत काम करने का आरोपी / अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**01-कार्यवाही विवरण:-**

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्दशन, अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री लक्ष्मन वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना बिजनौर श्री कपिल गौतम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर गलत काम करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

**02- संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 13.11.2026 को मुकदमा वादिनी की तहरीरी सूचना बावत नामित अभियुक्त गौरव सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व वादिनी द्वारा शादी के लिये कहने पर गाली-गलौज करते हुये मारपीट करना तथा वादिनी मुकदमा तथा वादिनी के माता-पिता को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 321/2026 धारा 69/115(2)/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) के निर्देशन में 02 पुलिस टीमो का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल एवं मैनुएल साक्ष्यो के माध्यम से अभियुक्त गौरव सिंह को दिनांक 14.11.2026 को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. गौरव सिंह पुत्र स्व0नटवर सिंह निवासी ओमेक्स सिटी बिजनौर रोड थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष।

**04- अनावरित अभियोग:-**

1. मु0अ0सं0- 321/26 धारा- 69/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 थाना बिजनौर,कमिश्नरेट लखनऊ।

**05- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- थाना बिजनौर पुलिस टीम,कमिश्नरेट लखनऊ।